



प्रेषक,

कमलेश कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 20 अगस्त, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी सुल्लू यादव पुत्र श्री सुभगगा यादव, निवासी जनपद-आजमगढ़ की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-3524/प्र०अनु०(2)-310/2026 (बैठक दिनांक-19.01.2026), दिनांक 02.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी सुल्लू यादव पुत्र श्री सुभगगा यादव, जो ग्राम-डीहा, थाना-जहानागंज, जनपद-आजमगढ़ का निवासी है। अभियुक्त द्वारा दिनांक-25.04.2008 को रात्रि लगभग 01:30 बजे अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शादी से लौट रहे अपने अभियोगी की गाड़ी पर बम, कट्टा व बन्दूक आदि असलहों से हमला करके 05 लोगों की हत्या की गयी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-651/2008 व 654/2008 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 307/149 एवं 5 वि०प०अधि० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-08, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 15.07.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में बन्दी की अपील लंबित है। बन्दी द्वारा दिनांक 20.12.2025 तक अपरिहार 17 वर्ष, 07 माह, 09 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 05 माह, 06 दिन की सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 20.12.2025 तक लगभग 38 वर्ष है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25 (94)/97 दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 09-(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे० 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई कि बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने का अवसर होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में सशक्त होने, बन्दी को जेल में और आगे निरुद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 10.11.2025 द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक-25.04.2008 को रात्रि लगभग 01:30 बजे अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शादी से लौट रहे अपने अभियोगी की गाड़ी पर बम, कट्टा व बन्दूक आदि असलहों से हमला करके 05 लोगों की हत्या की गयी थी। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति

व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-473 (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432) सपठित जेल मैनुअल 2022 के प्रस्तार-180 के अन्तर्गत सिद्धदोष सुल्लू यादव पुत्र सुभगगा यादव को 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी सुल्लू यादव (बन्दी संख्या-565/2022) पुत्र श्री सुभगगा यादव, निवासी जनपद- आजमगढ़ की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1093/2026/60(1)/22-2-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़।
- 2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़।
- 3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
- 4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेटजी फार ग्रांट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
- 5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।